P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-6 * (Part-1) February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मध्यप्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का सम्मिलित विकास

महेन्द्र मेहता
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग
गुरूघासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर, छ.ग. भारत

सारांश

भारत के हृदय स्थल में स्थित मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास की गति अन्य राज्यों की तुलना में धीमी रही है। भारत जैसे देश में जहाँ पूँजी का अभाव है तथा जनशक्ति की अधिकता है, लघु उद्योगों के विकास के बिना आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता। जिला उद्योग केन्द्र एवं अन्य शासकीय अभिकरणों को जिले की विभिन्न समस्याओं का निराकरण तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराकर लघु उद्योग स्थापित करने हेतु लोगों को प्रेरित करना चाहिये।

मुख्य शब्द : आर्थिक समस्याएँ, अग्रगामी राज्य, लघु उद्योगों का प्रोत्साहन, संरक्षण।

प्रस्तावना

शस्य श्यामला, विन्ध्य एवं सतपुड़ा की पर्वतमालाओं से अच्छादित तथा जीवन रेखा कही जाने वाली पावन सलिला का नर्मदा का यह क्षेत्र म. प्र. भारत का हद्य स्थल है, लेकिन मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास की गति अन्य प्राकृतिक संसाधनों से युक्त राज्यों की तुलना में धीमी रही है। मध्यप्रदेश मुख्य तौर पर कृषि आधारित राज्य है, लेकिन राज्य में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने वर्ष 2004–05 में उद्योग संवर्धन नीति 2004, अंगीकृत की। इस नीति को और अधिक प्रभावशाली तथा व्यापक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में संशोधित कार्ययोजना तैयार की गई तथा औद्योगिकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि अग्रणी बनाने हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना मध्यप्रदेश शासन द्वारा बनाई गई। औद्यौगिक दृष्टि से किये जा रहे सतत् प्रयासों से प्रदेश वर्तमान में देश में सातवें स्थान पर आ गया है, व लघु उद्योग क्षेत्र में म. प्र. चौथे क्रम पर है। वैश्वीकरण की चुनौतियों को पूरा करने के लिये एम.ई.एस. (सूक्ष्म एवं लघुउद्योग) की मदद करने के क्रम में, सरकार ने हाल के वर्षों में विभिन्न पहल एवं उपाय किये हैं। इनमें प्रथम एवं प्रमुख है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006। जिसका उद्देश्य प्रोत्साहन एवं विकास को सुविधाजनक बनाना, एम.एस.एम.ई. की प्रतियोगिता को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से लघु एवं मध्यम उद्यमों की उन्नति और विकास में मदद करना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रदत्त सेवाओं और माल की खरीद के लिये वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना, लघु उद्योग के लिये जटिल व दोहरी पंजीकरण प्रक्रिया के स्थान पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये वैकल्पिक विवरण पत्रक भरने की व्यवस्था करना है।

अध्ययन की आवश्यकता

ऐसे कौन से कारक हैं, कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास केन्द्र होने पर भी प्रदेश औद्योगिक विकास में असफल रहा है? का पता लगाना।

MSMED Act. - 2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का वर्गीकरण किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

वर्गीकरण	मेन्यूफेक्चरिंग पूँजी वेष्ठन सीमा	सर्विस सेक्टर पूँजी वेष्ठन सीमा
सूक्ष्म उद्यम	रु.25 लाख तक	रु.10 लाख तक
लघु उद्यम	रु.25 लाख से अधिक व रु.5 करोड़ तक	रु.10 लाख से अधिक व रु.2 करोड़ तक

स्रोत :– वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2008–09, पेज 7–8 म. प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

आधुनिक युग केवल बड़े उद्योगों का ही युग है और इसमें लघु उद्योगों को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता है किन्तु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यह विचार सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। लघु उद्योगों का नाम अवश्य छोटा है किन्तु उनकी उपयोगिता किसी भी दशा में कम नहीं समझी जानी चाहिये। भारत जैसे देश में जहॉ पूॅजी का अभाव है तथा जन शक्ति की अधिकता है, लघु उद्योगों के विकास के बिना आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता। नियोजित विकास काल में लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया और राज्य के औद्योगिक प्रतिरूप में इन उद्योगों का विशेष महत्व है, क्योंकि वृहद् एवं मध्यम वर्ग के उद्योग केवल वहीं स्थापित होते हैं, जहॉ विशाल प्राकृतिक तथा अन्य संसाधन हों, किंतु लघु उद्योगों में विकास सीमित संसाधनों के होने पर भी औद्योगिकरण सम्भव होता है, इनके स्थापना से विस्तृत प्रदेश की जनसंख्या को कुशलता का उपयोग होता है तथा रोजगार के साधन बनते हैं, साथ ही निजी पूॅजी भी उद्योगों में आकर्षित होती है। लघु उद्योगों में अधिकतर उपभोक्ता सामग्री, छोटी मशीनें, बिजली का छोटा सामान, हथकरधा कपड़ा, चमड़े इत्यादि का सामान बनाया जाता है, जिनकी खपत स्थानीय अथवा निकटवर्ती बाजार में हो जाती है, जिससे परिहवन के साधनों पर वहन का भार भी कम हो जाता है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये नियोजित विकास काल के आरम्भ में ही लघु उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। लेकिन यदि हम आर्थिक विकास के सूचकों अर्थात प्रति व्यक्ति आय, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या, कृषि मे कार्यरत् जनसंख्या, विनिर्माण उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों आदि के आधार पर अध्ययन करें तो सापेक्ष रूप में, कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से अग्रगामी हैं और अन्य सापेक्षतः पिछड़े हुए हैं। क्षेत्रीय असंतुलन का अध्ययन करने के लिये भारत के 15 बड़े राज्य दो वर्गों में बांटे गए, अग्रगामी राज्य और पिछड़े राज्य।

अग्रगामी राज्यों में शामिल हैं : पंजाब, गुजरात, पश्चिम–बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आन्ध्रप्रदेश तथा पिछड़े राज्यों मैं है : मध्यप्रदेश, असम, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार। विषमताओं को दूर करने के लिये विशेष आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को चलाना नितान्त आवश्यक है। इस तथ्य को नौंवीं पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट रूप से स्वीकारते हुए कहा गया कि :–

With greater freedom and choice of location that is now available to industry, it is more than likely that some states would be able to attract more private investmest than others. In such a situation it will be necessary to deliberately bias public investment in infrastructure in favor of the less well off states.

1 नवम्बर 1956 में मध्यप्रदेश के नये स्वरूप के गठन के पश्चात् यहॉ उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन तथा उन पर आधारित उद्योग स्थापित हुए। 1 नवम्बर 2000 को म. प्र. के पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत इसके एक भाग को छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में अलग किया गया तथा म. प्र. का पुर्नगठित वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, चूंकि म. प्र. का विशाल भू–भाग महत्वपूर्ण खनिजों से भरा हुआ है। अतः औद्योगिक सम्भावनाओं की दृष्टि से मध्यप्रदेश में निम्न विशेषताऍ हैं–

महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता

म. प्र. में बहुत से महत्वपूर्ण खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इनमें कोयला, बाक्साइट, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा लौह अयस्क जैसे खनिज उल्लेखनीय है। इसके अलावा हीरे के उत्पादन में म. प्र. का एकाधिकार है। यह यह म. प्र. के पन्ना जिले में पाया जाता है विभिन्न खनिजों की भारत में उपलब्धता के अनुपात के रूप मे देखा जाये तो भारत में उपलब्ध कोयले का 15.38 प्रतिशत म. प्र. में पाया जाता है।

देश में उपलब्ध चूना पत्थर का 12 प्रतिशत, लौह अयस्क का 22 प्रतिशत तथा बॉक्साइट का 12 प्रतिशत म. प्र. में पाया जाता है। यहॉ उपलब्ध डोलोमाइट तथा ताम्र अयस्क देश में इनकी उपलब्धता का 36 प्रतिशत है तथा देश के टीन का 99 प्रतिशत मध्यप्रदेश में उपलब्ध है।

तालिका

	अनुमानित भण्डार (मिलियन टनों में)	म. प्र. का भार में प्रतिशत हिस्सा
कोयला	26,853	15.38
चूना पत्थर	8218	12.00
लौह अयस्क	2470	22.00
डोलोमाइट	1638	36.00
बॉक्साइट	194	12.00
ताम्र अयस्क	193	36.00
रॉक फास्फेट	46	40.00
मैगनीज अयस्क	18	13.00
टिन अयस्क	29	99.00
हीरा	100	100.00

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-6 * (Part-1) February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

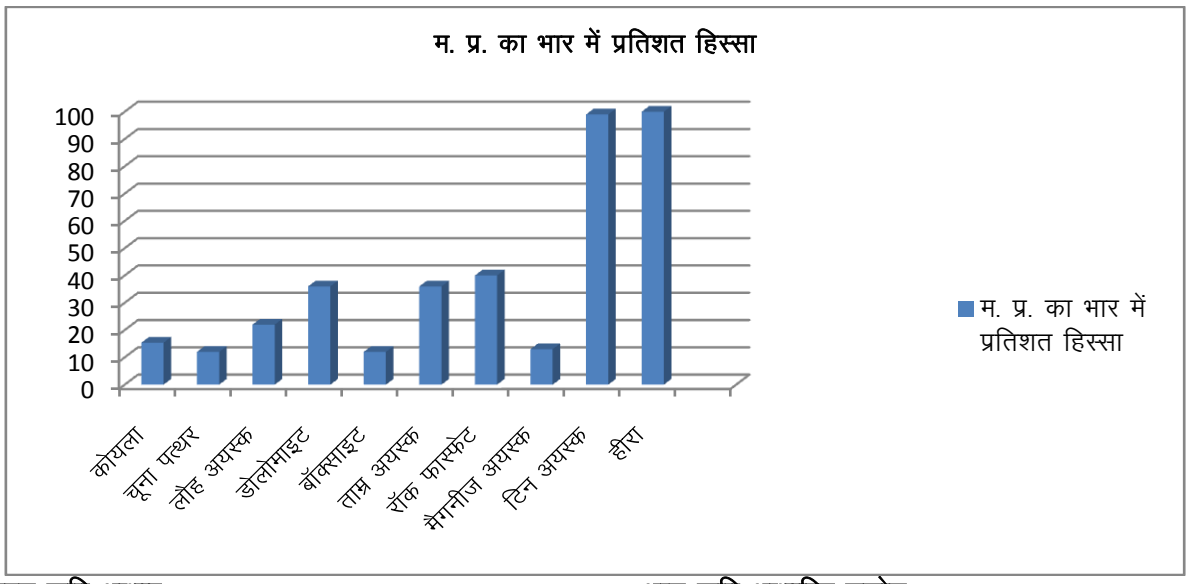

मजबूत कृषि आधार

कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि राज्य की 74.73 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खेती पर निर्भर है।

औद्योगिक शान्ति

देश के उद्योगों में हड़ताल तथा तालाबन्दी के ऑकड़ों से यह पता लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में म. प्र. सबसे कम औद्योगिक विवादों वाले प्रदेशों में एक है। म. प्र. एक शान्त क्षेत्र है तथा इस प्रदेश में उद्योग लगाए जाने पर औद्योगिक अशान्ति की आशंका बहु कम है इसी कारण नये उद्योगों की स्थापना के लिये यह प्रदेश बहुत अधिक उपयुक्त है। लधु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार रेशम, हथकरधा, खादी तथ चमड़े से बनी हुई वस्तुओं को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे प्रदेश में बड़े तथा मध्यम उद्योगों के साथ–साथ लघु उद्योगों का पर्याप्त विस्तार हो सके।

म. प्र. के उद्योगों को मुख्य रूप से निम्न चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योग

1. सीमेन्ट उद्योग – मुरैना, कटनी, सतना, नीमच
2. चीनी मिट्टी उद्योग – ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम
3. भारी विधुत उपकरण बनाने का कारखाना – भोपाल

वनों पर आधारित उद्योग

1. नेशनल न्यूज प्रिन्ट एण्ड पेपर मील नेपानगर।
2. बुरहानपुर में भारत का प्रथम कागज का कारखाना।
3. सिक्यूरिटी पेपर मील होशंगाबाद।
4. ओरियन्टल पेपर मिल अमलाई (शहडोल)
5. बैंक नोट प्रेस (देवास)
6. बीडी उद्योग
7. दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना ग्वालियर में
8. लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया में है।

कृषि पर आधारित उद्योग

1. सूती कपड़ा उद्योग
2. चीनी उद्योग

अन्य कृषि आधारित उद्योग

1. कीटनाशक संयंत्र – बीना (सागर)
2. जीवाणु खाद्य सयंत्र – भोपाल
3. डेयरी फार्म – बाबई (होशंगाबाद)
4. हाथकरघा उद्योग
5. रेशम उद्योग

15 अगस्त, 1947 को देश के स्वतंत्र होने पर औद्योगिक क्षेत्र में विशाल परिवर्तन आरंभ हुआ। औद्योगिक वातावरण को साफ करने के लिये 6 अप्रैल 1948 को राष्ट्रीय सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा में मिश्रित अर्थव्यवस्था कायम करने का सुझाव दिया, 1948 के प्रस्ताव के स्थान पर संसद ने 30 अप्रैल 1956 को दूसरा औद्योगिक नीति प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें उद्योगों के तीन वर्ग किये गये। साथ ही साथ ग्रामीण और लघु उद्योगों के प्रोत्साहन की बात की गई, जिसमें कहा गया की राज्य बड़े पैमाने के उत्पादन का परिणाम सीमित करके, विभेदक–कर (Differential-taxes) लगाकर या प्रत्यक्ष सहायता (Direcrt subsidies) प्रदान करके कुटीर और लघु उद्योगों को निरन्तर सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। राज्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र (Decentralised sector) आत्मनिर्भर होने के योग्य बन सके और उसका विकास बड़े पैमाने के उद्योगों से सम्बन्धित हों। 23 दिसम्बर 1977 को जनता सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की, नीति वक्तव्य में यह कहा गया कि पिछले 20 वर्षों में, सरकार की उद्योग के सम्बन्ध में नीति का आधार 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव था। इस औद्योगिक नीति में चाहे कुछ वाछंनीय अंश थे परन्तु इसके कार्यान्वयन में कुछ विकृतियॉ प्रकट हुई, बेरोजगारी में वृद्धि हो गयी, ग्राम तथा नगर में असमानता की खाई चौड़ी हो गई और वास्तविक विनियोग की दर अवरूद्ध हो गयी, औद्योगिक उत्पादन की दर औसत 3.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष से बढ़ नहीं पायी, इन विकृतियों को दूर करने के लिये जनता सरकार की नीति का प्रधान उपाय छोटे पैमाने के क्षेत्र का विकास था। नयी औद्योगिक नीति का मुख्य बल लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रभावी रूप में प्रोन्नत करना है ताकि वे

ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में बहुत अधिक फैल जाएं। सरकार की नीति यह है कि जो कुछ भी लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पन्न हो सकता है, निश्चय ही उनके द्वारा बनाया जाना चाहिये। तथा लघु क्षेत्र को फिर तीन वर्गों में बॉटा गया, और इन तीन वर्गों की औद्योगिक इकाइयों को एक साथ विकसित करने के लिये जनता सरकार ने प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केन्द्र कायम करने का प्रस्ताव रखा जो लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास का केन्द्र बिन्दु बन सके। इस अभिकरण का उद्देश्य एक ही छत के नीचे है सभी सेवाएँ और सुविधाएँ उपलब्ध कराना था जो लघु तथा ग्राम उघमकर्ताओं को चाहिए। जूतों तथा साबुन के उत्पादन को लघु क्षेत्र में अधिकाधिक बढ़ाने के लिये विशेष प्रोग्राम चलाने की ठानी गयी, ग्राम तथा लघु उद्योगों की उत्पादिता तथा अर्जन–क्षमता (Earning capacity) बढ़ाने के लिये छोटी तथा साधारण मशीनें विकसित करने का प्रस्ताव किया गया, जनता सरकार की औद्योगिक नीति का मुख्य बल बड़े पैमाने के उद्योगों जिन पर बड़े व्यापारिक एवं औद्योगिक घराने और बहु–राष्ट्रीय निगम (Multinational) छाये हुए हैं, के विरूद्ध छोटे तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना था। 23 जुलाई, 1980 को उद्योग मंत्री श्री चरनजीत चानना ने 1956 की औद्योगिक नीति को आधार मानते हुए, छोटे, मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोन्नत करने के लिये कुछ महत्वपूर्ण ढील और रियायतों की घोषणा की। इस के तीन उद्देश्य थे अर्थात् आधुनिकीकरण, विस्तार और पिछड़े क्षेत्रों का विकास। सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को घोषित नयी औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योग की लम्बे समय से चल रही लाइसेंस राज प्रणाली को समाप्त करने की मॉग को पूरा कर दिया, तथा केवल 15 उद्योगों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों में लाइसेंस समाप्त कर दिये गए।

भारत सरकार नियोजित अर्थव्यवस्था मॉडल के अपनाए जाने से लेकर लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन और विकास के लिये सतत् प्रयास कर रही है। समय–समय पर सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत् उपायों से लघु उद्योग क्षेत्र इस योग्य बन गया है कि इसने समग्र औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में तेज गति से वृद्धि की है।

मध्यप्रदेश में सूक्ष्म तथा लघु उद्योग की स्थिति (वित्तीय वर्ष के अनुसार)

वित्तीय वर्ष	सूक्ष्म तथा लघु उघम (संख्या)	विनियोग (लाख रूपये में)	रोजगार
2000–2001	8734	7744.38	21805
2001–2002	6338	10697.03	17371
2002–2003	4297	5717.83	12110
2003–2004	15358	9453.01	33709
2004–2005	15873	13359.49	47732
2005–2006	14949	12861.66	32372
2006–2007	16733	17822.16	38958
2007–2008	18582	29827.31	46197
2008–2009	20920	36871.84	46891
2009–2010	19721	25414.24	41302
2010–2011	19856	41316.57	42959
2011–2012	14563	24454.11	30842

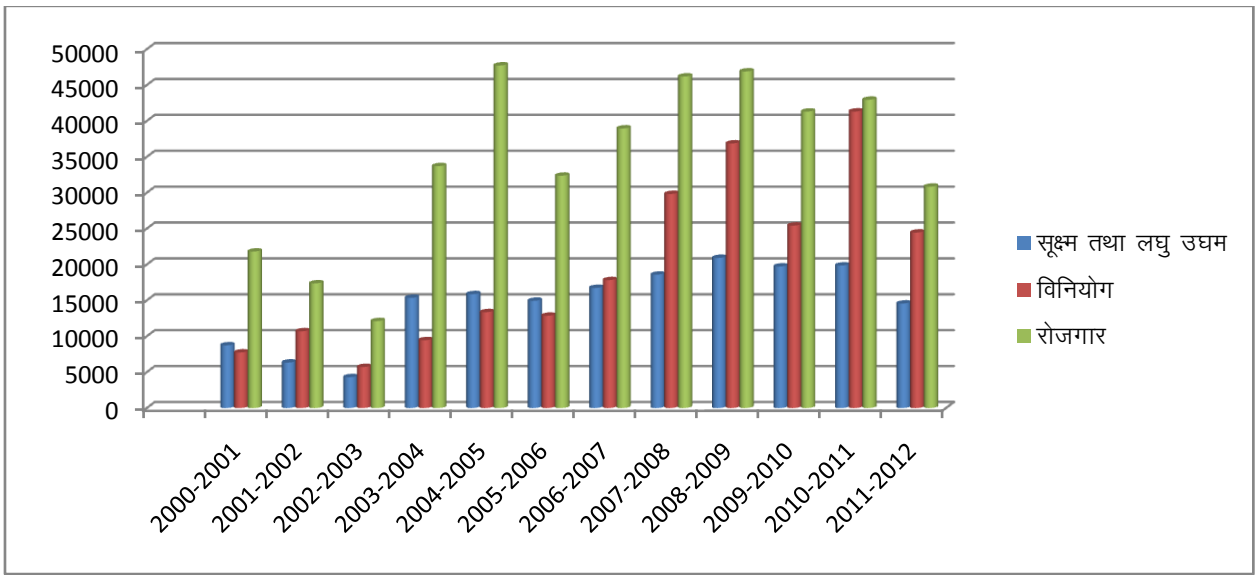

वर्ष 2000–2001 में राज्य में जहॉ सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की संख्या 8734, जिनमें रूपये 7744.38 लाख रू. का विनियोग था तथा 21805 हजार व्यक्ति कार्यरत् थे। वहीं वर्ष 2010–11 में कुल सूक्ष्म व लघु उद्योग इकाइयॉ 19856 थी विनियोग 41316.57 लाख रूपये तथा 42959 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। शासन द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्योगों के विकास हेतु अनेक प्रकार की सुविधाऍ उपलब्ध कराई गई है। लेकिन फिर भी सूक्ष्म व लघु उद्यम अनेक समस्याओं से जूझ रहा है।

जैसे – कच्चे माल की समस्या, विपणन की समस्या, बढ़ती औद्योगिक रूग्णता की समस्या, उद्यमियता की अपर्याप्तता, वित्तीय समस्या, जिला उद्योग केन्द्र की समस्या, बुनियादी औद्योगिक सुविधाओं से सम्बन्धित समस्या (पानी, भूमि, विधुत, परिवहन व यातायात संचार आदि) व श्रम समस्या।

लघु उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल की है, अतः सस्ती दर पर कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये म. प्र. लघु उद्योग निगम की स्थापना की गयी है। जिसे लिये निगम को आवश्यक कच्चा माल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु सार्थक पहल करना चाहिये, म. प्र. में व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रचार प्रसार होना चाहिये, जिला उद्योग केन्द्र एवं अन्य शासकीय अभिकरणों को जिले की विभिन्न समस्याओं का निराकरण कर तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाऍ उपलब्ध कराकर लघु उद्योग स्थापित करने हेतु लोगों को प्रेरित करना चाहिये। यातायात के समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु सार्थक प्रयास करने चाहिये। उत्पादित माल के विपणन हेतु म. प्र. सरकार को समुचित प्रयास करना चाहिये। म. प्र. शासन को लघु उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को मध्यम एवं वृहद् उद्योगों से पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिये। आजकल निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान जाने लगा है। इनके माध्यम से रोजगार व आमदनी बढ़ाये जा सकते हैं।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि कुटीर एवं लघु उद्योग हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की एक ऐसी महत्वपूर्ण इकाई है जिन पर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की नींव रखी जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

भारत – 2011, वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार

Approach paper to Ninth five year plan, planning commission, Government of India

A Journal of small scale Indurtries विकास आयुक्त, लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन October – Dec. 2004

रूद्रदत्त, के. पी. एम. सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था

www.mpindurtry.org

चौबे, महेशचंद्र; उपाध्याय, मदनमोहन, 2003, जबलपुर अतीत दर्शन, कमिश्नर, जबलपुर, पेज 13.

गौतम, राकेश; भदौरिया, जितेन्द्र सिंह, मध्यप्रदेश : एक परिचय, टाटा मेकग्रेहिल्स एजुकेशन प्रा. लि., न्यू दिल्ली, द्वितीय संस्करण, 2011, पेज 22.31.

जिला व्यापार एवं उद्याोग केन्द्र, जबलपुर.

नवभारत, दैनिक समाचार पत्र, शुक्रवार 6 अगस्त, 1999, पेज 7.

नवभारत, दैनिक समाचार पत्र, जबलपुर, शुक्रवार 1 अगस्त, 1997, पेज 6.

पत्रिका, दैनिक समाचार पत्र, जबलपुर, 3 जनवरी, 2012, पेज 2.

नई दुनिया, जबलपुर, बुधवार, 8 जनवरी, 2014, पेज 7.

नई दुनिया, महानगर, जबलपुर, 25 जनवरी, 2012, पेज 2.

दैनिक भास्कर, जबलपुर, 22 जनवरी, 2013, पेज 2.

नई दुनिया, महानगर, जबलपुर, सोमवार, 12 सितंबर 2009.